

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

अधिमुचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2000

सा.का.नि. 640(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उक्त धारा को उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री एम.के. असवानी को कांडला पत्तन के न्यासी मंडल में पत्तन में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्रमिक न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 24-5-2000 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 489(अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 17 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी अर्थात् :— ''18. श्री एम. के. असवानी - पत्तन में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।''

> [सं.पी टी-18011/6/99-पी टी] के.वी. राष, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (Department of Shipping) (PORTS WING) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2000

G.S.R. 640(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) read with sub-section (6) of the said section file Central Government hereby appoints Shri M.K. Aswani as a Labour Trustee to represent the Labour Emp_{2}^{1} and the Port on the Board of Trustees for the Port of Kandla and makes the following further amendment first the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) G.S.R. No. 48°(\pm) dated 24-5-2000.

2. In the said notification after Σ_{real} No. 17 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted namely —

"18. Shri M.K. A^mwani — Representing the Labour employed in the Port "

[No PT-18011/6/99-PT] K.V. RAO, Jt Secy

2058 GT 2000